

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 32]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 14 जनवरी 2016—पौष 24, शक 1937

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 14 जनवरी 2016

क्र. 817-14-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 12 जनवरी 2016 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ५ सन् २०१६

मध्यप्रदेश वृत्ति कर (संशोधन) अधिनियम, २०१५

[दिनांक १२ जनवरी, २०१६ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक १४ जनवरी, २०१६ को प्रथम बार प्रकाशित की गई]

मध्यप्रदेश वृत्ति कर अधिनियम, १९९५ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम .

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश वृत्ति कर (संशोधन) अधिनियम, २०१५ है.

(२) यह १ अप्रैल, २०१५ से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा.

धारा २ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश वृत्ति कर अधिनियम, १९९५ (क्रमांक १६ सन् १९९५) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा २ में, खण्ड (च) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:-

“(च) “व्यक्ति” से अभिप्रेत है कोई ऐसा व्यक्ति जो मध्यप्रदेश राज्य में किसी वृत्ति, व्यापार, आजीविका या नियोजन में लगा हुआ है और उसके अन्तर्गत इस प्रकार किसी वृत्ति, व्यापार या नियोजन में लगा हुआ कोई हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब, फर्म, कम्पनी, निगम या कोई अन्य निगमित निकाय, कोई सोसाइटी, क्लब या सन्था है किन्तु उसके अन्तर्गत कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो वेतन या मजदूरी का उपार्जन आकस्मिक आधार पर करता है, तथापि किसी फर्म, कम्पनी, निगम या अन्य निगमित निकाय, किसी सोसाइटी, क्लब या सन्था की प्रत्येक शाखा व्यक्ति समझी जाएगी;”

अनुसूची का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की अनुसूची में,—

(एक) अनुक्रमांक ३ के सामने, कॉलम (२) में, मद (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित मद स्थापित की जाए, अर्थात्:-

“(ख) चिकित्सा व्यवसायी जिनके अन्तर्गत चिकित्सा परामर्शी, दंत चिकित्सक, रेडियोलोजिस्ट, पेथोलोजिस्ट और पैरामेडिकल स्वरूप की ऐसी ही अन्य वृत्तियों या आजीविका में लगे हुए व्यक्ति सम्मिलित हैं;”

(दो) अनुक्रमांक ४ के सामने,—

(क) मद (३) के स्थान पर, निम्नलिखित मद स्थापित की जाए, अर्थात्:-

“(३) संपदा अभिकर्ता और ब्रोकर:

(क) उस स्थान में जहां जनसंख्या २५,००० से कम है

कुछ नहीं

(ख) उस स्थान में जहां जनसंख्या २५,००० और उससे अधिक है.

२,५०० रुपए”;

(ख) मद (९) के स्थान पर, निम्नलिखित मद स्थापित की जाए, अर्थात्:—

“(९) मध्यप्रदेश दुकान तथा स्थापना अधिनियम, १९५८ (क्रमांक २५ सन् १९५८) में यथापरिभाषित निवासयुक्त होटलों के नियोजक, जिनमें—

(क) दस बिस्तर से कम हैं १,००० रुपए

(ख) दस बिस्तर या उससे अधिक हैं २,५०० रुपए”;

(ग) मद (१४) के स्थान पर, निम्नलिखित मद स्थापित की जाए, अर्थात्:—

“(१४) वीडियो पार्लरों या वीडियो लाइब्रेरियों के या दोनों के स्वामी और जहां कोई वीडियो पार्लर या वीडियो लाइब्रेरी या दोनों पट्टे पर दिए हों, वहां उसका पट्टेदार या ब्यूटी पार्लरों के स्वामी, केबल आपरेटर, फिल्म वितरक या ऐसे व्यक्ति जो विवाह हाल का स्वामित्व रखते हों / विवाह हाल चला रहे हों:

(क) उस स्थान में जहां जनसंख्या २५,००० से कम है. १,००० रुपए

(ख) उस स्थान में जहां जनसंख्या २५,००० और उससे अधिक है. २,५०० रुपए”;

(घ) मद (१५) के स्थान पर, निम्नलिखित मद स्थापित की जाए, अर्थात्:—

“(१५) मध्यप्रदेश साहूकारी अधिनियम, १९३४ (क्रमांक १३ सन् १९३४) के अधीन रजिस्ट्रीकृत साहूकार;

(क) उस स्थान में जहां जनसंख्या २५,००० से कम है. १,००० रुपए

(ख) उस स्थान में जहां जनसंख्या २५,००० और उससे अधिक है. २,५०० रुपए”;

(तीन) अनुक्रमांक ५ के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“५. मध्यप्रदेश दुकान तथा स्थापना अधिनियम, १९५८ (क्रमांक २५ सन् १९५८) में यथापरिभाषित स्थापनाओं के नियोजक, उन नियोजकों को छोड़कर जो इस अनुसूची में अन्यत्र विनिर्दिष्ट किए गए हैं:—

(क) दस से अधिक कर्मचारी नहीं हैं १,००० रुपए

(ख) दस से अधिक कर्मचारी नियोजित हैं २,५०० रुपए”;

(चार) अनुक्रमांक ७ के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“७. कारखाना अधिनियम, १९४८ (१९४८ का ६३) में यथापरिभाषित कारखानों के अधिष्ठाता, किन्तु उन्हें छोड़कर जो प्रविष्टि ८ के अंतर्गत आते हैं:—

(क) जहां दस से अनधिक कर्मकार काम करते हैं. १,००० रुपए

(ख) जहां दस से अधिक कर्मकार काम करते हैं. २,५०० रुपए”;

(पांच) अनुक्रमांक ९ के सामने मद (ख) और (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित मदें स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

“(ख) (एक)	चार पहिए वाली एक टैक्सी, हल्के यात्री यान या माल यान के संबंध में.	कुछ नहीं
(दो)	चार पहिए वाली दो या दो से अधिक किन्तु पांच से कम टैक्सी, हल्के यात्री यान या माल यान के संबंध में.	२,००० रुपए
(तीन)	चार पहिए वाली पांच या पांच से अधिक टैक्सी, हल्के यात्री यान या माल यान के संबंध में.	२,५०० रुपए
(ग) (एक)	एक भारी यात्री यान या माल यान के संबंध में	१,००० रुपए
(दो)	दो या दो से अधिक भारी यात्री यान या माल यान के संबंध में	२,५०० रुपए”;

(छह) अनुक्रमांक ९-क के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक और उनसे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएं, अर्थात्:—

“९ख. (क)	कोचिंग संस्थान, संशिक्षकीय संस्थाएं या प्रशिक्षण संस्थाएं चला रहा व्यक्ति (केन्द्र/राज्य सरकार या स्थानीय निकायों द्वारा धारित से भिन्न).	२,५०० रुपए
(ख)	संपत्ति विकासकर्ता	२,५०० रुपए
(ग)	नर्सिंग होम, अस्पताल, पथोलोजिकल टेस्टिंग लेबोरेटरीज, एक्स-रे क्लीनिक और मेडिकल डायग्नोस्टिक सेंटर चला रहा व्यक्ति (राज्य या केन्द्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे से भिन्न).	२,५०० रुपए
(घ)	ट्रेवल और टूर एजेंसी, विज्ञापन एजेंसी चला रहा व्यक्ति	२,५०० रुपए
(ङ)	कुरिअर सर्विस, प्लेसमेंट सर्विस उपलब्ध करवा रहा व्यक्ति	२,५०० रुपए
(च)	वे ब्रिज आपरेटर्स	२,५०० रुपए
(छ)	चलचित्र उद्योग में नियोजित व्यक्ति अर्थात् निर्माता, निर्देशक, अभिनेता, (कनिष्ठ अभिनेता से भिन्न), गायक, संपादक, रिकार्डिस्ट और कैमरामेन.	२,५०० रुपए
९.ग (क)	इंटीरियर डेकोरेटर;	
(ख)	ड्रायक्लीनर और इंटरनेट सेवा उपलब्ध करवाने वाला, इंटरनेट केफे, इन्फॉर्मेशन कियोस्क चला रहा व्यक्ति;	

(ग) जिम और फिटनेस सेंटर चला रहा व्यक्ति;

उपरोक्त समस्त तीनों श्रेणियों के लिए

(एक) किसी ऐसे स्थान में जहां जनसंख्या २५,००० से कम है. कुछ नहीं.

(दो) किसी ऐसे स्थान में जहां जनसंख्या २५,००० और उससे अधिक है. २,५०० रुपए”

भोपाल, दिनांक 14 जनवरी 2016

क्र. 817-14-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश वृत्ति कर (संशोधन) अधिनियम, 2015 (क्रमांक 5 सन् 2016) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

**MADHYA PRADESH ACT
NO. 5 OF 2016**

**THE MADHYA PRADESH VRITTI KAR (SANSHODHAN)
ADHINIYAM, 2015**

[Received the assent of the Governor on the 12th January, 2016; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 14th January, 2016].

An Act further to amend the Madhya Pradesh Vritti Kar Adhinyam, 1995.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the sixty-sixth year of the Republic of India as follows :—

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Vritti Kar (Sanshodhan) Adhinyam, 2015.

Short title and commencement.

(2) It shall be deemed to have come into force from 1st April, 2015.

2. In Section 2 of the Madhya Pradesh Vritti Kar Adhinyam, 1995 (No. 16 of 1995) (hereinafter referred to as the principal Act), for clause (f), the following clause shall be substituted, namely:—

Amendment of Section 2.

“(f) “person” means any person who is engaged in any profession, trade, calling or employment in the State of Madhya Pradesh and includes a Hindu undivided family, firm, company, corporation or other corporate body, any society, club or association so engaged but does not include any person who earns salary or wage on casual basis. However, every branch of a firm, company, corporation or other corporate body, any society, club or association shall be deemed to be a person;”.

3. In the Schedule to the principal Act,—

Amendment of Schedule.

(i) against serial number 3, in column (2), for the item (b), the following item shall be substituted, namely:—

“(b) Medical practitioners including medical consultants, dentists, radiologists, pathologists and persons engaged in other similar professions or callings of a paramedical nature;”;

(ii) against serial number 4,—

(a) for the item (3), the following item shall be substituted, namely:—

“(3) Estate agents and brokers :

(a) in a place having a population of less than 25,000.

Nil

(b) in a place having a population of 25,000 and above.

Rs.2,500”;

- (b) for the item (9), the following item shall be substituted, namely:—
- “(9) Employers of residential hotels as defined in the Madhya Pradesh Shops and Establishments Act, 1958 (No. 25 of 1958)—
- | | | |
|-----|---------------------------|-------------|
| (a) | having less than ten beds | Rs. 1,000 |
| (b) | having ten beds or more | Rs. 2,500”; |
- (c) for the item (14), the following item shall be substituted, namely:—
- “(14) Owners of video parlours or video libraries or both and where any video parlour or video library or both are leased, the lessee thereof, or owners of beauty parlours, cable operators, film distributors, or persons owing/running marriage hall :—
- | | | |
|-----|--|-------------|
| (a) | in a place having population of less than 25,000 | Rs. 1,000 |
| (b) | in a place having population of 25,000 and above | Rs. 2,500”; |
- (d) for the item (15), the following item shall be substituted, namely:—
- “(15) Money lenders registered under the Madhya Pradesh Money Lenders Act, 1934 (No. 13 of 1934);
- | | | |
|-----|--|-------------|
| (a) | in a place having population of less than 25,000 | Rs. 1,000 |
| (b) | in a place having population of 25,000 and above | Rs. 2,500”; |
- (iii) for serial number 5, the following serial number shall be substituted, namely:—
- “5. Employers of establishment as defined in the Madhya Pradesh Shops and Establishments Act, 1958 (No. 25 of 1958) excluding those specified elsewhere in the Schedule:—
- | | | |
|-----|---|-------------|
| (a) | Where there are not more than ten employees | Rs. 1,000 |
| (b) | Where more than ten employees are employed | Rs. 2,500”; |
- (iv) for serial number 7, the following serial number shall be substituted, namely:—
- “7. Occupiers of factories as defined in the Factories Act, 1948 (No. 63 of 1948) but excluding those covered by entry 8.—
- | | | |
|-----|---|-------------|
| (a) | Where not more than ten workers are working | Rs. 1,000 |
| (b) | Where more than ten workers are working | Rs. 2,500”; |

(v) against serial number 9, for the items (b) and (c), the following items shall be substituted, namely:—

“(b)(i)	in respect of one Taxi, four wheeler light passenger or goods vehicle	Nil
(ii)	in respect of two or more Taxis, but less than five taxis, four wheeler light passenger or goods vehicle.	Rs. 2,000
(iii)	in respect of five or more taxis, four wheeler light passenger or goods vehicle	Rs. 2,500
(c) (i)	in respect of one heavy passenger or goods vehicle	Rs. 1,000
(ii)	in respect of two or more heavy passenger or goods vehicle	Rs. 2,500”;

(vi) after serial number 9-A, the following serial numbers and entries relating thereto shall be inserted, namely:—

“9B.	(a) Person running coaching institutes, tutorial institutions or training institutes (other than those owned by Central/State Government and local bodies)	Rs. 2,500
(b)	Property developers	Rs. 2,500
(c)	Person running Nursing Home, Hospital, Pathological testing laboratories, X-ray clinics and Medical diagnostic centres (other than those run by the State or Central Government)	Rs. 2,500
(d)	Person running travel and tour agency, advertising agency	Rs. 2,500
(e)	Person providing courier service, placement service	Rs. 2,500
(f)	Weigh bridge operators	Rs. 2,500
(g)	Person employed in motion picture industry, including producer, director, actor (other than junior actor), singer, editor, recordist and cameraman.	Rs. 2,500
9C.	(a) Interior decorator;	
(b)	Dry cleaner and person providing internet service, running internet café, information kiosks;	
(c)	Person running gym and fitness centre,— For above all three categories	
(i)	in a place having population of less than 25,000	Nil
(ii)	in a place having population of 25, 000 and above.	Rs. 2,500”.